

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर मुकाम ओरिसिया
 बालू राम वर्मा बनाम दीपा राम वर्मा
 मुकदमा 212 RTA CE नं. 170 सन् 2016

तारीख
 हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

21.6.16 ~~पञ्चमी~~ प्राथीगण ने एक प्राथीना पत्र जरिमे
 अधिकार दारा U/S 212 RTA CE के तहत पेश
 किया जो कार. क्रि. 212 RTA CE
 इस प्राथीना पत्र बाबत केविट रूमी में
 श्री दिनेश मदेरणा ने पेश किया जो प्राथीना
 सिधल हो।
 दोनो कडीलो की वृत्त सुनी गई।
 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
 किया गया। वादावत भूमि पर प्राथीगण व
 अप्राथीगण के मध्य विवाद है।
 अतः अप्राथीगण को अज्ञात निवेदाकी
 से इस कर पकन्द किया गया है कि वादावत
 भूमि माप पट्टि नुमाई ठाणी 912, 913, 914, 915
 916, 932, 934, 941, 946, 971, 975 क्षेत्र भूमि
 157-10 बीघा पर आगामी तारीख पेशी तक
 मौजूद की प्रशासिक बनाये रखे।
 अप्राथीगण को जरिमे सम्मन तलप
 कर पत्रावली वाले इन्तजार तलकी दिनांक 11.8.16
 को पेश हो।

(चंचल वर्मा)
 उप खण्ड अधिकारी
 सहायक कलेक्टर व
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओरिसिया

11/8/16

पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध
 दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दिनांक 17.10.16
 को पेश हो।
 सहायक कलेक्टर, धारा 212

10/10/16

पत्रावली पेश हुई। (बमल 35)
 प्राथीगण व अप्राथीगण के मध्य विवाद है।
 प्राथीगण ने पेश किया है कि दिनांक 21/10/16
 को पेश हो।

सीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

0-19

पत्रावली पेश हुई। कमील पश्चाव उपस्थित।
बहस सुनी गई।

पत्रावली का इक्लोकन किया, बहस
के आधार पर प्राथीगण का अभिलेख
को स्वीकार किया जाने योग्य है
अतः प्राथीगण को अभिलेख को
स्वीकार किया जा रहा है। तथा ग्राम
पण्डित जी की ठाणी के खेत नम्बर
912, 913, 914, 915, 916, 932, 934, 941,
946, 971, 975, में मूल बाँध के विस्तार
तक प्राथीगण के कच्चे काश्त में किसी
उधार की दरकल राजी न ले स्वयं करे और
न ही किसी अन्य से करावे। मोठे व
राजस रेकार्ड की अथास्थिती बनाये रखे।
पत्रावली केवल मुभाए होवलागल
से कम की जाकर दरकल दफ्तरी।

